पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
दीवानी समीक्षा सं० 16/2020
में
लेटर्स पेटेंट अपील सं०– 691/2017

= =

श्री उमा शंकर राम, पिता– श्री लालगी राम, पूर्व कर्मचारी किरानी बैंक ऑफ इंडिया, गाँव–भरहरिया, डाकघर–देवहलिया, थाना– रामगढ़, जिला–रोहतास (सासाराम)।

.... याचिकाकर्ता

बनाम

1. बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के माध्यम से, मुख्य कार्यालय, स्टार हाउस सी–5 जी–ब्लॉक बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुंबई में अधिकारी हैं।
2. बैंक ऑफ इंडिया के आंचलिक प्रबंधक, जिनका कार्यालय आंचलिक कार्यालय चंकिया टॉवर बीरचंद पटेल मार्ग, पटना में है।
3. श्रम और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली के सचिव के माध्यम से भारत संघ।
4. मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) नई दिल्ली।
5. सहायक निदेशक, आई. आर. (आईएमपीआई), श्रम और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली।
6. क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय), पटना, बिहार।
7. सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, मौर्य लोक परिसर, ब्लॉक–ए, दूसरी मंजिल, डाक बंगला, पटना, बिहार।

....विपक्षीगण

= =

उपस्थितः

याचिकाकर्ता के लिए : श्री बीरेंद्र कुमार झा, अधिवक्ता।
यू. ओ. आई. के लिए : श्री रत्नेश कुमार, वरिष्ठ सी. जी. सी.
श्री आदित्य आनंद, अधिवक्ता।

= =

पुनर्विचार याचिका- यह तय करने के लिए दायर की गई कि क्या कानून के अनुसार एलपीए (LPA) बनाए रखने योग्य है या नहीं।

औद्योगिक न्यायाधिकरण के पुरस्कार को एकल न्यायाधीश के समक्ष चुनौती दी गई थी। एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ एलपीए दायर की गई, जिसे बनाए रखने योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया गया।

निर्णय -

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 17-बी के तहत पारित आदेश, पटना के पत्र पेटेंट के क्लॉज-10 के तहत "जजमेंट" की परिभाषा में आता है और इसलिए यह अपील योग्य है।
- उद्धृत निर्णय वर्तमान मामले में पूर्णतः लागू होता है, जिससे एलपीए को स्वीकार करने का आधार मिलता है। (पैरा 9)

सिविल पुनर्विचार स्वीकार की जाती है। (पैरा 10)

= =

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

= =

समक्षः माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री
और
माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार पांडे
मौखिक न्यायाधीश
(प्रतिः माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री)
तारीखः 09-07-2024

पिछले अवसर पर, कानून के प्रश्न की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए, विद्वान अधिवक्ता, श्री प्रतीक कुमार सिन्हा ने प्रस्तुत किया कि वह इस मामले में सहायता करेंगे। तदनुसार, हमने उन्हें कानून के सवाल पर कि एल. पी. ए. बनाए रखने योग्य है या नहीं के मामले को संबोधित करने की अनुमति दी है।

2. वर्तमान सिविल समीक्षा सं० 691/2017 जो एल. पी. ए. सं० 691/2017 से उत्पन्न हुई है। 13 दिसंबर 2019 को, समन्वयक बेंच ने एलपीए नंबर 691/2017 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ बनाए रखने योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया। समन्वयक बेंच ने **शाह बाबुलाल खिमजी बनाम जयाबेन डी. कानिया और अन्य, (1981) 4 एससीसी 8,** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा किया।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अपीलार्थी–दीवानी समीक्षा याचिकाकर्ता बैंक ऑफ इंडिया का कर्मचारी था। उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने औद्योगिक विवाद उठाया। विवाद को संदर्भ सं 90/2017 के माध्यम से संदर्भित किया गया था। धनबाद स्थित केंद्र सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरण (संख्या– 2) ने अपीलकर्ता के खिलाफ एक अवार्ड पारित की। दिनांक 19 दिसंबर 2011 को दिया गया निर्णय और 5 जुलाई 2012 को अपीलकर्ता को दी गई इसकी सूचना, वाद सं० का 7124/2012 विषय था। इस तरह की रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत दायर की गई थी। अदालत ने रिट याचिका को अस्वीकार कर दिया और धनबाद में केंद्र सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक – 19.12.2011 को लिए गए फैसले को बरकरार रखा। इस प्रकार एल. पी. ए. न. 691/2017 दायर हुआ। समन्वय पीठ ने एल. पी. ए. न० 691/2017 को इस आधार पर खारिज कर दिया कि एल. पी. ए. ए पोश्नीय नहीं है। इसलिए, वर्तमान सिविल रिट न० 16/ 2020 एलपीए बनाए रखने योग्य है या नहीं, इस प्रश्न पर केंद्रित है?

4. विद्वान अधिवक्ता श्री प्रतीक कुमार सिन्हा ने प्रस्तुत किया कि समन्वय पीठ ने एल. पी. ए. को इस आधार पर अस्वीकार करने में त्रुटि की है कि यह एल. पी. ए. **शाह बाबूलाल खिमजी बनाम जयाबेन डी. कनिया एंड अदर, (1981) 4 एस. सी. सी. 8.** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संदर्भ में बनाए रखने योग्य नहीं है।

5. विद्वान अधिवक्ता श्री प्रतीक कुमार सिन्हा ने कई निर्णयों का हवाला दिया जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 और अदालत के भीतर की अपील/एल. पी. ए. की व्याख्या की गई है। इस मुद्दे पर उन्होंने निम्नलिखित निर्णयों का हवाला दिया हैः

(i) एस. जोगेंद्र सिंह जी बनाम गुजरात राज्य और अन्य सुप्रीम कोर्ट 3623 (पैरा– 6,7,14,15 और 21) ए. आई. आर. 2015 में प्रतिवेदित।

(ii) शाहू शिक्षण प्रसारक मंडल और अन्य बनाम लता पी. कोरे और अन्य मामले एम. ए. एन. यू./एस. सी./4178/2008 {(सिविल अपील सं० – 5801/2008 (एस. एल. पी. (सी.) न.16811/2006 से उत्पन्न)} में प्रतिवेदित एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिनांक – 23.09.2008 (पारा 8 एवं 11) में लिया गया निर्णय।

(iii) केंद्रीय खदान योजना और डिजाइन संस्थान लिमिटेड के प्रबंधन के संबंध में नियोक्ता बनाम भारत संघ (यू. ओ. आई.) और अन्य, एम. ए. एन. यू./एस. सी./0053/2001

(अपील (सिविल) 880/2001, एस. एल. पी. (सी.) 14516/1999, में दिनांक 25.01.2001 को लिया गया निर्णय (पैरा–7,9,11,13 और 14)।

6. इंगित किया गया है कि अगर एकल न्यायाधीश द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 17–बी के तहत कोई आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है, तो उस आदेश के खिलाफ लेटर्स पेटेंट अपील की जा सकती है। यह निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा लिया गया है और इसमें पटना उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट के खंड 10 का हवाला दिया गया है।

7. वर्तमान लिस में शामिल मुख्य मुद्दा यह है कि क्या विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ एल. पी. ए. केंद्र सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरण के निर्णय को विद्वान एकल के समक्ष चुनौती के रूप में बनाए रखने योग्य है और एल. पी. ए. के तहत आगे उत्तरदायी है या नहीं?

8. केंद्रीय खदान योजना और डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (उपरोक्त) के प्रबंधन के संबंध में नियोक्ता के मामले में, यह पटना, रांची बेंच, एल. पी. ए. 177/1999(आर) की उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच का एक मामला है, जिसका निर्णय 9 अगस्त, 1999 को लिया गया था। इस मामले में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 17–बी के तहत आवेदन को मंजूरी दी है। नियोक्ता द्वारा व्यथित महसूस करते हुए, एल. पी. ए. के अधिकार क्षेत्र को पटना उच्च न्यायालय के नियमों के खंड–10 के तहत लागू किया गया था। एलपीए बेंच ने यह फैसला सुनाया कि एलपीए बनाए रखने योग्य नहीं है। एल. पी. ए. पीठ के फैसले से व्यथित महसूस करते हुए, प्रबंधन ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील को प्राथमिकता दी और इसे अपील (दीवानी) 880/2001,1999 एस. एल. पी. (सी) 14516/1999 के रूप में पंजीकृत किया गया जिसमें दिनांक – 25.01.2001 को निर्णय दिया गया। निर्णय के अनुच्छेद 7 से 11 और 18 को पुनः प्रस्तुत करना प्रासंगिक है और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाता हैः

> **"7.** इस अपील में जो संक्षिप्त प्रश्न उठता है वह हैः क्या एल. पी. ए. सं. (आर) 177/1999, उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष पटना के लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत आई. डी. अधिनियम की धारा 17 बी के तहत एक आवेदन पर पारित विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ, बनाए रखने योग्य है ?
>
> **8.** हम यहाँ उल्लेख कर सकते हैं कि कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के लेटर्स पेटेंट के खंड 15 की बुद्धिमत्ता में खंड 10 की समाप्ति होती है, जो इलाहाबाद, पटना,

पंजाब और हरियाणा और मध्य प्रदेश के लेटर्स पेटेंट के लिए है। यहाँ इसे पढ़ना उपयोगी होगा:–

> "15. अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र में मूल अधिकार क्षेत्र के न्यायालयों से उच्च न्यायालय में अपील–
>
> "हम आगे आदेश देते हैं कि मद्रास, बॉम्बे, फोर्ट विलियम में बंगाल के उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, जो कि एक न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय (जो अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करके एक डिक्री या आदेश के संबंध में दिया गया निर्णय नहीं है, जो कि उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया है, और न ही यह एक संशोधनीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करके बनाया गया आदेश है, और न ही यह उच्चतम न्यायालय की धारा 107 के प्रावधानों के तहत पर्यवेक्षण की शक्ति का प्रयोग करके पारित किया गया वाक्य या आदेश है, और न ही यह आपराधिक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करके पारित किया गया है) उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश या किसी भी खंड न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा, सरकार ऑफ इंडिया एक्ट की धारा 108 के अनुसार, और यह कि इसके पूर्व में प्रदान की गई किसी भी बात के बावजूद, उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश या किसी भी खंड न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा, सरकार ऑफ इंडिया एक्ट की धारा 108 के अनुसार, 1 फरवरी 1929 को या उसके बाद, अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करके एक डिक्री या आदेश के संबंध में दिए गए निर्णय के खिलाफ, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के संबंध में, जहां न्यायाधीश जिसने निर्णय दिया है, घोषित करता है कि यह मामला अपील के लिए उपयुक्त है; लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों या ऐसे खंड न्यायालय के अन्य निर्णयों से अपील का अधिकार हमारे पास, हमारे उत्तराधिकारियों या हमारे प्राइवी काउंसिल में होगा, जैसा कि आगे प्रदान किया गया है।"

रेखांकित आपूर्ति की गई।

9. ऊपर उद्धृत प्रावधान को बारीकी से पढ़ने से पता चलता है कि इसके तीन अंग हैं; पहला अंग उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के निर्णयों के प्रकार को निर्दिष्ट करता है जो उस उच्च न्यायालय में अपील योग्य है और निर्णयों/आदेशों की श्रेणियों को जो इसके दायरे से बाहर हैं; दूसरा अंग यह प्रदान करता है कि पहले अंग में किसी भी बात के बावजूद, उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश या किसी भी खंड न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है, सरकार ऑफ इंडिया एक्ट की धारा 108 (अब भारत के संविधान का अनुच्छेद 225) के अनुसार, 1 फरवरी 1929 को या उसके बाद, अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करके एक डिक्री या आदेश के संबंध में दिए गए निर्णय के खिलाफ, जो उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया है, जहां न्यायाधीश जिसने निर्णय दिया है, घोषित करता है कि यह मामला अपील के लिए उपयुक्त है; तीसरा अंग कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों या ऐसे खंड न्यायालय के अन्य निर्णयों से अपील का अधिकार "हमारे पास, हमारे वारिस या उत्तराधिकारियों में हमारे या उनके प्राइवी काउंसिल में होगा, जैसा कि आगे प्रदान किया गया है।"

10. यहाँ, हम पहले अंग में उल्लिखित निर्णयों के प्रकार से संबंधित हैं।

11. <u>लेटर्स पेटेंट के खंड 15 का उपरोक्त विश्लेषण पटना के लेटर्स पेटेंट के खंड 10 पर भी समान रूप से लागू होगा। इसका अर्थ यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 225 के अनुसार उक्त उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश या किसी खंडपीठ के एक न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध पटना उच्च न्यायालय की एक बड़ी पीठ में अपील की जा सकेगी।</u> लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के प्रथम भाग के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणियों के निर्णयों को अपील योग्य निर्णयों से बाहर रखा गया है:

"(i) किसी न्यायालय द्वारा अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग करते हुए की गई डिक्री या आदेश के संबंध में अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग करते हुए पारित किया गया निर्णय, जो उक्त उच्च न्यायालय के अधीक्षण के अधीन है, दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा दूसरी अपील में पारित निर्णय से उच्च न्यायालय में कोई लेटर पेटेंट अपील नहीं है।

(ii) पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा दिया गया आदेश; और

(iii) भारत सरकार अधिनियम, 1915 (अब भारत के संविधान का अनुच्छेद 227) की धारा 107 के प्रावधानों के तहत या आपराधिक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए पारित या शक्ति का प्रयोग करते हुए किया गया कोई दंड या आदेश।

रेखांकित आपूर्ति की गई।

18. इस मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए। आई. डी. अधिनियम की धारा 17 बी श्रमिकों को मूल्यवान अधिकार प्रदान करती है और तदनुसार नियोक्ता पर भारी दायित्व लगाती है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश श्रमिकों की लाभ प्राप्त करने की पात्रता निर्धारित करता है और अपीलकर्ता पर उक्त धारा में दिए गए ऐसे लाभों का भुगतान करने के लिए एक दायित्व अधिरोपित करता है। लेटर्स पेटेंट, पटना के खंड 10 के उस आदेश के अर्थ में 'निर्णय' होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटि की है कि उक्त आदेश पटना के लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के अर्थ के भीतर निर्णय का हिस्सा नहीं है।"

9. माननीय उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय में कहा कि 26 अप्रैल, 1999 को औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 17–बी के तहत पारित आदेश पटना के लेटर्स पेटेंट के खंड–10 के अर्थ के भीतर एक निर्णय है और इसलिए, अपील योग्य है। उद्धृत निर्णय सीधे तौर पर वर्तमान मामले पर लागू होता है और एलपीए की अपील को सुनने के लिए उपयुक्त है। इस प्रकार, लेटर्स पेटेंट अपील पर विचार नहीं कर समन्वय पीठ ने कानून के प्रश्न पर त्रुटि की है। अपीलकर्ता–सिविल समीक्षा याचिकाकर्ता ने 13.12.2019 को एलपीए संख्या 691/2017 में पारित समन्वयक बेंच के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए एक मामला बनाया है। यह बयान यह दर्शाता है कि अपीलकर्ता ने एक मजबूत मामला प्रस्तुत किया है जो समन्वयक बेंच द्वारा जारी आदेश को चुनौती देने के लिए पर्याप्त है।

10. वर्तमान सिविल समीक्षा सं० 16/2020 को स्वीकृत किया जाता है।

11. रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि एल. पी. ए. सं० 691/2017 को संबंधित रोस्टर बेंच के समक्ष जल्द से जल्द सूचीबद्ध करें।

12. हम विद्वान अधिवक्ता श्री प्रतीक कुमार सिन्हा के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया, इस मामले में उनकी सहायता की और उनकी प्रशंसा को दर्ज किया जाता है।

(पी. बी. भजंत्री, न्यायमूर्ति)

(आलोक कुमार पांडे, न्यायमूर्ति)

खंडन (डिस्क्लेमर)– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।